न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 01/2023
जीसीएमएस संख्या 2023/578

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
लादूराम पटेल पुत्र स्व0 शिवाराम पटेल, फर्म मैसर्स उम्मेदाराम राजाराम शिवाराम, मैन मार्केट लूणी, जिला जोधपुर। निवासी मैन मार्केट, लूणी, जिला जोधपुर।

उपस्थित
अधिवक्ता श्री हनुमारराम मुण्डन (अप्रार्थी)

—:आदेश :— **दिनांक :— 24.06.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.06.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स उम्मेदाराम राजाराम शिवाराम, मैन मार्केट, लूणी जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय निर्माण इकाई पर विक्रेता व मालिक की हैसियत से लादूराम पटेल उपस्थित मिले तथा आम जनता को विक्रय हेतु घी (कृष्णा) का भण्डारण किये हुए थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई अनु0 22215039000044 जारी दिनांक 09.01.2015 वैधता अवधि 08.01.2020 एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया नवीनीकृत अनुज्ञप्ति नहीं होना जाहिर किया। दुकान का निरीक्षण करने पर घी (कृष्णा) 1 लिटर के 14 पैकेट्स एवं 500 एम.एल. के 15 पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/असुरक्षित का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह श्री अम्बादान पुत्र श्री मन्दाराम राव निवासी—ठाकुर जी के मन्दिर के पास, लूणी जिला जोधपुर एवं मेरे साथ गये श्री भैंराराम प्रजापत, सहा0 कर्मचारी कार्या0 मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। श्री लादूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

पटेल द्वारा उक्त घी (कृष्णा) की आगामी खरीद हेतु कोई इनवोईस नहीं होने बाबत् सूचित किया जिसका इन्द्राज प्रपत्र 5 ए पर उनके स्वयं के द्वारा किया गया। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता के घी (कृष्णा) 500 एम.एल. के 4 पैकेट्स मूल को 560 रूपये नगद देकर वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने घी (कृष्णा) 500 एम.एल. के 4 पैकेट्स मूल हेतू चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2927 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2927 हस्ताक्षर युक्त डॉ. बलवन्त मण्डा, अभिहित अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2927 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया।

उक्त नमूना लेने के पश्चात पर घी (कृष्णा) 1 लिटर के 14 पैकेट्स एवं 500 एम.एल. के 11 पैकेट्स सिज्ड सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर में एफबीओ श्री लादूराम पटेल को जरिये प्रारूप – 2 एवं प्रारूप– 3 के द्वारा जब्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 23.06.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2927 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 22.06.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 22.06.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 608–609 दिनांक 30.03.2022 के साथ मूल जांच रिपोर्ट एल. एस./1292/एक्ट/2022/1292 दिनांक 05.07.2022 श्री लादूराम पटेल पुत्र श्री स्व. शिवाराम जरिये फर्म मैसर्स उम्मेदाराम राजाराम शिवाराम, मैन मार्केट, लूणी जिला जोधपुर को नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गई। उक्त खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गया। अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे मय रजि. रसीदे–1 सलंग्न परिवाद है।

फर्म के मालिक श्री लादूराम पटेल के उक्त घी (कृष्णा) की पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पूणे से पुनः जांच के आवेदन दिनांक 28.07.2022 पर श्री अभिहित अधिकारी जोधपुर के द्वारा उक्त नमूना संख्या एम–2927 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 670–672 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा निदेशक, रेफरल फूड लेब, पूणे को भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट RLP/DO/P/492/22/595/2022 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार उक्त घी (कृष्णा) अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया जो उक्त फर्म को पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

जरिये पत्र अग्रेषित/सुचित किया गया। उक्त सभी दस्तावेज मय मूल जांच रिपोर्ट संलग्न परिवाद हैं।

खाद्यकारोबार कर्ता/मालिक के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) की अग्रीम खरीद बाबत् कोई इनवोईश पेश नहीं किया है। जो कि धारा 27 की उपधारा (3) (d) का उल्लघंन है जो की धारा 26 की उपधारा (2) (v) का उल्लघंन है एवं उक्त खाद्य कारोबार कर्ता के पास उक्त परिसर का उक्त अवधि का खा़द्य रजिस्ट्रेशन नही पाया गया है धारा 26 की उपधारा (2) (v) का उल्लघंन है। एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्मान योग्य अपराध हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान राम मुण्डन ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 06.06.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा पैकिंग माल खरीद कर बेचा जाता हैं। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अपने स्तर पर मिलावट नहीं की गई हैं। अप्रार्थी पिछले कई वर्षो से घी का व्यापार कर रहा है लेकिन पहली बार उनका सैम्पल अमानक स्तर का आया है। अतः अप्रार्थी से पहली बार गलती हुई है तथा अप्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भविष्य में इस तरह की पुनरावर्ति नहीं होगी। बहस के अन्त में कम से कम शुल्क से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स उम्मेदाराम राजाराम शिवाराम, मैन मार्केट, लूणी जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु घी (कृष्णा) का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी लादूराम पटेल पुत्र स्व0 शिवाराम पटेल पर शास्ती रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. लादूराम पटेल पुत्र स्व0 शिवाराम पटेल, फर्म मैसर्स उम्मेदाराम राजाराम शिवाराम, मैन मार्केट लूणी, जिला जोधपुर। निवासी मैन मार्केट, लूणी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested